कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 11/07/2025**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 10.07.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना नोनहरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 210/2025 धारा 303(2)/317(2) BNS से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को चोरी किये गये सामान व 01 अदद नाजायज देशी तमंचा.315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम आज दिनांक 10.07.2025 को चौकी प्रभारी अटवा मोड़ उ0नि0 श्री अजय कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर खालिसपुर मैदान के पास से अभियुक्त सुशील कुमार भारती पुत्र अमेरिका भारती निवासी बिंदवालिया थाना सदर कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 35 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से दिनांक 04.07.2025 को ग्राम धावा से चुराया गया एक अदद साउंड एमप्लीफायर stranger PBT 800 बरामद हुआ अभियुक्त की जामा तलाशी में उसके पास से एक अदद नाजायज देशी तमंचा बरामद .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 0.315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 210/2025 धारा 303(2)/317(2) BNS में धारा 3/25 ARMS ACT की बढ़ोतरी करते हुए गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. सुशील कुमार भारती पुत्र अमेरिका भारती निवासी बिंदवालिया थाना सदर कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 35 वर्ष

बरामदगी का विवरण–

1. एक अदद साउंड एमप्लीफायर stranger PBT 800
2. एक अदद नाजायज देशी तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 0.315 बोर।

आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 237/2025 धारा 191(2)/352/351(3) बीएनएस थाना सदर कोतवाली जनपद गाजीपुर।
2. मु0अ0सं0 447/2020 धारा 379/411 भादवि थाना सदर कोतवाली जनपद गाजीपुर।

3. मु0अ0सं0 210/2025 धारा 303(2)/317(2) BNS व 3/25 ARMS ACT थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर।

<u>02. श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा।</u>

दिनांक 10.07.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना भाँवरकोल जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0स0 – 560/2014 धारा 302, 323 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त धनन्जय उर्फ करिया पुत्र सल्लू उर्फ शिव प्रसाद चौधरी निवासी शेरपुर कला थाना भाँवरकोल जनपद गाजीपुर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 25,000/- अर्थदण्ड, धारा 323 भादवि में 01 वर्ष का कारावास, धारा 4/25 आयुध अधिनियम में 01 वर्ष का कारावास व 5,000/- अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर